माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

निविदा सूचना

I. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार 12 महीने के लिए कार्यक्षेत्र (**अनुबंध –ए**) में दिए गए अनुसार सुरक्षा सेवाओं को प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र में पंजीकृत योग्य निविदाकारों से सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

II.	**निविदा फार्म का मूल्य**	**रु.5000/–**
III.	**निविदा जारी करने की तिथि**	**दिनांक.4.7.2020**
IV.	**निविदा जमा करने की अंतिम तिथि**	**दिनांक. 20.7.2020 .अपरान्ह 3.00 बजे**
V.	**तकनीकी निविदा (B) खोलने की तिथि एवं समय**	**दिनांक. .20.7.2020.सायं 4.00 बजे**
VI.	**वित्तीय निविदा (C) खोलने की तिथि एवं समय**	**दिनांक .25.7.2020 सायं 4.00 बजे**
VII.	**सुरक्षानिधि राशि**	**रु.2,00,000/–**
VIII.	**निविदा खोलने एवं जमा करने का स्थान**	: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल, बी–38 विकास भवन जोन–1, एम.पी. नगर,भोपाल

नोटः–

IX. निविदा फार्म को विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.mcu.ac.in) से डाउनलोड किया जा सकता है या विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा से क्रय किया जा सकता है ।

X. भविष्य में निविदा संबंधी किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना वेबसाईट (www.mcu.ac.in) पर दी जा सकती है ।

XI. हेल्पलाईन नं. 0755–2552574

कुलसचिव
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय
पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,
बी–38 जोन–1,एम.पी.नगर,भोपाल

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

निविदा प्रस्तुत करने का पत्र

प्रति,

कुलसचिव
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
बी–38 जोन–1, एम.पी.नगर,
भोपाल

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पढ़ने एवं जॉचने के पश्चात निविदा जमा करते हैं तथा घोंषणा करते हैं कि :–

- ❖ हमारे प्रस्ताव में उल्लेखित सभी दरें दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार हैं । इस निविदा में उल्लेखित दरें और अन्य नियम और शर्तें निविदा खोलने की तिथि से एक कैलेण्डर वर्ष के लिए मान्य हैं।
- ❖ हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई दरों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से लगने वाले कर आदि शामिल हैं।
- ❖ हम एतद द्वारा घोषणा करते है कि यदि विधिक रूप से शासन द्वारा किसी कर (tax) में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है या कोई नये कर लगाए जाते है, तो हम उसका भुगतान करेंगे ।
- ❖ हम घोंषणा करते है कि हमारे द्वारा दी जा रही सुरक्षा सेवाओं को बिना किसी विचलन (DEVIATIONS) के निविदा शर्तों के अनुसार सतर्कता एवं तत्परता से निष्पादित किया जाएगा ।
- ❖ हम इस बात की पुष्टि करते है कि निविदा प्रपत्र के अनुसार आपके द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी /आवश्यक प्रपत्र जमा किए गए हैं।

हम एतद द्वारा घोंषणा करते है कि हमारा प्रस्ताव विश्वास, बिना किसी मिलीभगत या धोखा धड़ी के, पूर्ण सदभावना से बनाया गया है और प्रस्ताव में निहित जानकारी हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सर्वोत्तम और सही है । हम इस बात से सहमत है कि यदि कोई सूचना असत्य पाई जाती है तो, निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को ठीक से सील बंद और तैयार किया गया है ताकि बाद के किसी भी परिवर्तन और प्रतिस्थापना को रोका जा सके ।

हम इस बात से सहमत है कि हमारी न्यूनतम दर या किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं ।

धन्यवाद

(निविदाकर्ता का हस्ताक्षर एवं सील)

नाम

दिनांक

स्थान

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं....................... दिनांक.....................

विषय वस्तु

स.क्रं.	विवरण	पेज नं.
1.	सामान्य दिशा निर्देश	28
2.	निविदा की सामान्य अनिवार्य शर्तें	16 से 21
3.	संलग्नक .ए. सेवाओं का दायरा	21
4.	पत्रता और योग्यता मानदण्ड	6 से 10
5.	वित्तीय निविदा फार्म	24
6.	अनुबंध डी. भाग में (I से III) घोंषणा /शपथ पत्र का प्रारुप, कर्मचारियों का विवरण और प्रदर्शन विवरण	25 से 28
7.	पात्रता हेतु मानदण्ड	14
8.	अनुलग्नक ई.एम.डी.	11
9	निविदाओं का मूल्यांकन मापदण्ड	14 एवं 15
10.	योग्यता मानदण्ड	7 एवं 8

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

1. परिभाषाएं और संकेताक्षर

1.1 इन दस्तावेजों में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित परिभाषाएं और संक्षिप्त विवरण का अर्थ निम्नानुसार होगा :–

1.2 परिभाषाः–

विश्वविद्यालयीन भवन से आशय :– विश्वविद्यालय के इन भवनों/स्थानों पर सुरक्षा का कार्य करना होगा।

अ. बी–38 विकास भवन जोन–1, एम. पी. नगर, भोपाल

ब बिसन खेड़ी परिसर, ग्राम बिसनखेड़ी में स्पोर्टस अर्थारिटी ऑफ इंडिया खेल परिसर के पास स्थित है।

स. ई–8 त्रिलोचन नगर शाहपुरा, भोपाल

द. नोएडा परिसर,सी,56/4,सेक्टर–62,नोएडा–201301 (यू.पी.)

क. रीवा परिसर **TBH-8**,शिल्पीप्लाजा,बी.ब्लाक,तृतीय तल, पीलीकोठी,रीवा (म.प्र.)–486001

ख. दतिया परिसर, ग्राम.खैरी,सेरसा, जिला.दतिया,म.प्र.

1.3 **''अनुबन्ध''**से तात्पर्य सफल टेंडरदाता और विश्वविद्यालय के बीच लिखित समझौते से है, इसमें वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ और सभी संलग्नक,अनुलग्नक आदि शामिल हैं।

1.4 **''ठेकेदार''** का अर्थ है सुरक्षा सेवाओं के लिए अनुबंध के निष्पादन के लिए चयनित सफल टेंडरदाता।

1.5 **''डे''** का मतलब कैलेंडर डे होता है।

1.6 **''सुरक्षानिधि राशि ''(EMD)** का अर्थ है कि निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली सुरक्षानिधि राशि।

1.7 **''सेवा''** काअर्थ है कि विश्वविद्यालयीन भवनों,कार्यालयीन सामग्री, उपकरणों, मशीनरी,,विश्वविद्यालय, आदि की सुरक्षा प्रदान करना।

1.8 **''निविदा आमंत्रण प्राधिकरण''** या **''निविदा स्वीकृति प्राधिकरण''** या **'' अनुबंध प्राधिकरण''** का अर्थ है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्याल,भोपाल

1.9 **''अध्यक्ष''** संबंधित अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति,कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव हैं।

1.10 **''नोडल ऑफिसर''** से आशय विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव (प्र.शा.) है।

1.11 **''प्रदर्शन सुरक्षा''** का अर्थ उस पर रखे गए अनुबंध के नियत प्रदर्शन के लिए सफल निविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा निधि राशि है।

1.12 **''निविदा''** का अर्थ है फर्म/निविदाकर्ता/बोलीदाता से प्राप्त बोलियॉ/निविदा।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

2. सेवाओं का दायरा: सेवाओं का दायरा अनुबंध **A** में दिया गया है।

3. **साईट का दौरा :–** संबंधित क्षेत में पंजीकृत योग्य निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि सहायक कुलसचिव (प्र.शा.) की अनुमति लेकर प्रातः10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस पर कार्य का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

4. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व बैठक और स्पष्टीकरण :–**

4.1 नियमों ,शर्तों और कार्यक्षेत्र के संबंध में निविदाकारों की किसी भी क्वेरी को स्पष्ट करने के लिए विश्वविद्यालय में एक बैठक आयोजित की जाएगी। समय,दिनांक और स्थान का उल्लेख अनुभाग–1 से ऊपर है। निविदा जमा करने के पूर्व,बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं है।

4.2 संभावित निविदाकार निविदाएं जमा करने के लिए नियत तारीख से 10 दिन पहले नवीनतम,यदि कोई हो,अपने प्रश्न भेज सकते हैं। विश्वविद्यालय दस्तावेजों को आवश्यक स्पष्टीकरण और संशोधन जारी करेगा,यदि कोई हो।इस तरह के स्पष्टीकरण/संशोधन वेबसाईट (www.mcu.ac.in)पर प्रदर्शित की जाएगी।

5. पात्रता मानदंड :–

5.1 निविदाकारों को भारतीय पंजीकरण अधिनियम एक्ट 1908(भारतीय भागीदारी अधिनियम एक्ट 1932)कंपनी अधिनियिम एक्ट 1956, के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो पिछले पन्द्रह वित्तीय वर्षो के दौरान इसी तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं।(अर्थात भूतपूर्व सैनिकों या सिविल के माध्यम से सुरक्षा ऐवाएं प्रदान करना)।बड़े शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों में सुरक्षा गार्ड),केन्द्र सरकार/राज्यसरकार के विभागों,सार्वजनिक उपक्रमों या निजी क्षेत्र की कंपनियों/उपक्रमों,स्वायत्व निकायों द्वारा संचालित विश्वविद्यालय।

5.2 निविदाता का प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,2005 की सुरक्षा सेवाओं के लिए मान्य (निविदा जमा करने की तारीख के अनुसार) अद्यतन लाइसेंस होना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकेगा।

5.3 **निविदाकर्ता का पिछले 3 वषों में से किन्ही दो वर्षों का टर्न ओवर रु.15.00 करोड़ (रुपये पन्द्रह करोड़) होना अनिवार्य है।**

5.4 निविदाकर्ता के पास भविष्य निधि, ई.एस. आई.सी.व जी.एस.टी. का पंजीयन होना अनिवार्य है,अन्यथा निविदा को अमान्य कर किया जा सकेगा।

5.5 संबंधित कार्य क्षेत्र में संस्था का रजिस्ट्रेशन (अद्यतन) होना अनिवार्य है,अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकेगा।

5.6 संबंधित कार्य क्षेत्र में श्रमायुक्त द्वारा जारी 150 सुरक्षा कर्मियों के कार्य करने का लाईसेंस (अद्यतन) होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकेगा।

5.7 संबंधित कार्य क्षेत्र में नगर निगम द्वारा जारी अद्यतन पंजीयन होना अनिवार्य है , अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकेगा।

5.8 जी.एस.टी. नं.(छाया प्रति संलग्न करें)

5.9 पेन कार्ड नं. (छाया प्रति संलग्न करें)

5.10. संबंधित क्षेत्र में लेबर स्थापना पंजीयन क्र. होना अनिवार्य है,अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

5.11. संस्था का अद्यतन पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है ,अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

5.12 प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,2005 के तहत सुरक्षा एजेंसी का पंजीयन प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

5.13 संलग्न प्रारुप (प्रपत्र–5) के अनुसार रु.1000/– के गैर न्यायित मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर

5.14 शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

नोटः– बिन्दु क्रं. 5.1 **से 5-13 तक** वांछित जानकारी संबंधित प्रपत्रों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य वांछित प्रपत्रों की छाया प्रति संलग्न न पाए जाने पर निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

6. योग्यता मानदण्ड :–

6.1 मूल्यांकन के सभी मानदण्डों (PARAMETERS) के लिए स्व प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें अन्यथा निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.2 ई.एस आई सी पंजीकरण की तारीख के आधार पर सुरक्षा के क्षेत्र में दी गई सेवाओं के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6.3 **चार्टड एकाउटेंट से प्राप्त विगत 3 वर्षो के अंकेक्षित (आडिट)लेखा या प्रमाण पत्र का पूरा सेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है , अन्यथा निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।**

6.4 निविदाकर्ता द्वारा जिन संस्थओं में विगत 15 वर्षों में सेवाए दी गई है उन संस्थाओं से प्राप्त कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में प्रपत्र 3 में वांछित जानकारी के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.5 साक्ष्य के रूप में माह मार्च, 2020 में जमा किए जाने वाले ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. और जी.एस.टी. के चालान छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.6 निविदाकर्ता अपने मुख्यालय एवं शाखाओं का पूर्ण पतों सहित विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.7 वर्तमान में सुरक्षा ऐजेन्सी में कितने सुरक्षा गार्ड,सुपरवाईजर कार्यरत हैं । विवरण **प्रपत्र–1** में देवे।

6.8 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–2** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोंषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.9 सुरक्षा एजेंन्सी का प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सी (रेग्यूलेशन) एक्ट 2005 का वैद्य रजिस्ट्रेशन व वैद्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए । पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.10 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) ।

6.11 **निविदा जारी होने के बाद की तिथि की 25 लाख की बैंक सालवेन्सी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा ।**

6.12 **न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ. कटौती का प्रमाण–पत्र विगत एक माह की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

6.13 न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी कटौती का प्रमाण–पत्र विगत एक माह की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6.14 न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.)चालान जमा करने की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6.15 **न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो, की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

6.16 **सुरक्षा एजेन्सी को पिछले 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए । सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरुप प्रपत्र–3 के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।**

6.17 सुरक्षा एजेन्सी के विरुद्व कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी आपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो,इस बावत् राशि रु.1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तत करना अनिवार्य है।

6.18 सफल निविदाकार को प्रपत्र–4 के अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.19 **प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,2005 एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।** प्रशिक्षण संबंधी प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

6.20 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी 8–8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी एवं किसी सुरक्षाकर्मी की एक माह में 30 से अधिक ड्यूटी नहीं होगी।

6.21 **सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों की आयु 18 से 60 वर्ष (कार्यावधि) के मध्य होना चाहिए** एवं उनका स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र निविदा मान्य होने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.22 सुरक्षा एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी के विरुद्व विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि राशि राजसात कर ली जावेगी।

6.23 सुरक्षा एजेन्सी के पास अपने सुरक्षा कार्य के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए, जो विशेष रुप से सुरक्षा कार्य के लिए प्रशिक्षित हों । कर्मचारियों की पूरी सूची,नाम,आयु,कर्मचारी कोड,पदनाम, सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभव, पीएफ,ई.एस.आई.कटौती का विवरण आदि को तकनीकी निविदा के साथ

संलग्न किया जाना अनिवार्य है। साथ ही निविदाकार को स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का विवरण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो निविदाकर्ता ने अपने श्रमिकों के लिए लिया है।

6.24 संलग्न प्रारुप (प्रपत्र–4) के अनुसार रु.1000/– के गैर न्यायित मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

6.25 इस वित्तीय प्रपत्र में निविदाकर्ता को सर्विस चार्ज सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) एवं सुपरवाईजर (कुशल श्रेणी) को मिलने वाले उस माह के कलेक्टर दर के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि तथा विकली रेस्ट के आधार पर भुगतान की जाने वाली कुल राशि के योग को मिलाकर आने वाली कुल राशि के आधार मानते हुए सर्विस चार्ज राशि अंकित की जावे।

नोटः–**बिन्दु क्रं 6 .1 से 6.24 तक वांछित प्रपतों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।**

6.26 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रु.5000/–(रुपये पॉच हजार) मात्र है जो वापसी योग्य नहीं है।

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

7. पात्रता और योग्यता के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज :–

7.1 ई.एस आई सी पंजीकरण की तारीख के आधार पर सुरक्षा के क्षेत्र में दी गई सेवाओं के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7.2 चार्टड एकाउनटेन्ट से प्राप्त विगत 3 वर्षों के अंकेक्षित (आडिट)लेखा या प्रमाण पत्र का पूरा सेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7.3 निविदाकर्ता द्वारा जिन संस्थओं में सेवाए दी गई है उन संस्थाओं से प्राप्त कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7.4 साक्ष्य के रूप में माह मार्च, 2019 में जमा किए जाने वाले ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. और जी.एस.टी.के चालान छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7.5 निविदाकर्ता अपने मुख्यालय एवं शाखाओं का पूर्ण पतों सहित विवरण प्रस्तुत करें।

7.6 वर्तमान में सुरक्षा ऐजेन्सी में कितने सुरक्षा गार्ड,सुपरवाईजर कार्यरत हैं । विवरण **प्रपत्र–1** में प्रस्तुत करें।

7.7 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–2** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोंषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.8 सुरक्षा एजेंन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सी (रेग्यूलेशन) एक्ट 2005 का वैद्य रजिस्ट्रेशन व वैद्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)।

7.9 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) ।

7.10 **निविदा जारी होने के बाद की तिथि की 25 लाख की बैंक सालवेन्सी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

7.11 **न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ. कटौती का प्रमाण–पत्र विगत एक माह की छाया प्रति संलग्न करें।**

7.12 **न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी कटौती का प्रमाण–पत्र विगत एक माह की छाया प्रति संलग्न करें।**

7.13 **न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.)चालान जमा करने की छाया प्रति संलग्न करें।**

7.14 **न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो, की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

7.15 **सुरक्षा एजेन्सी को पिछले 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए । सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरुप प्रपत्र–3 के साथ संलग्न करें।**

7.16 सुरक्षा एजेन्सी के विरुद्व कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी आपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। शपथ पत्र संलग्न करें ।

निविदा फार्म क्रं....................... दिनांक....................

7.17 सफल निविदाकार को प्रपत्र–4 के अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.18 **प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,2005 एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।** साक्ष्य के रुप में संबंधित प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

7.19 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी 8–8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी एवं किसी सुरक्षाकर्मी की एक माह में 30 से अधिक ड्यूटी नहीं होगी।

7.20 **एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों की आयु 18 से 60 वर्ष (कार्यावधि) के मध्य होना चाहिए** एवं उनका स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र निविदा मान्य होने पर संलग्न करना अनिवार्य है।

7.21 सुरक्षा एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी के विरुद्व विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि राशि राजसात कर ली जावेगी।

7.22 इस वित्तीय प्रपत्र में निविदाकर्ता को सर्विस चार्ज सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) एवं सुपरवाईजर (कुशल श्रेणी) को मिलने वाले उस माह के कलेक्टर दर के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि तथा विकली रेस्ट के आधार पर भुगतान की जाने वाली कुल राशि के योग को मिलाकर आने वाली कुल राशि के आधार मानते हुए सर्विस चार्ज राशि अंकित की जाए।

बिन्दु क्रं. 7.1 से 7.18 तक वांछित दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उपरोक्त वांछित दस्तावेज संलग्न न पाए जाने पर निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

8.निविदा दस्तावेज की बिक्रीः–

8.1 **इच्छुक निविदाकर्ता दिनांक 20.7.2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक राशि रूपये 5000.00** का बैंक ड्राफ्ट '' **कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार वि.वि.भोपाल**'' के नाम से जमा कर निविदा फार्म भंडार शाखा से क्रय कर सकते हैं या वि.वि. की वेबसाइट www.mcu.ac.in से डाउनलोड कर जमा कर सकते हैं।

8.2 यदि निविदा फार्म विश्वविद्यालय की बेवसाईड से डाउनलोड किया गया है तो निविदा फार्म मूल्य राशि रु.5000/– का बैंक ड्राफ्ट '' **कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार वि.वि.भोपाल**'' के नाम से देय, टेण्डर के साथ पृथक से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. निविदा वैद्यता :–

9.1 सामान्यतः अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। आपसी सहमति से इसे आगे बढाया जा सकेगा।

9.2 असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैद्यता की समाप्ति से पहले, निविदादाता विश्वविद्यालय से अनुरोध कर सकता है । इस टेंडर की वैद्यता को आगे की अवधि के लिए समझा जा सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रुप में दी जाएंगी। एक निविदाकार के लिए इसके निविदा को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. निविदा सुरक्षा राशि :–

10.1. **निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में रू.2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) का** बैंक ड्राफ्ट जो ''कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल''के पक्ष में देय हो,संलग्न करना अनिवार्य हैं। उक्त राशि का बैंक ड्रफ्ट निविदा के साथ संलग्न न पाए जाने पर निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

10.2 निविदा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की दशा में **निविदा फार्म मूल्य राशि रु.5000/– का बैंक ड्राफ्ट** पृथक से निविदा के साथ संलग्न न पाए जाने पर निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

11. निविदा मूल्य

11.1. निविदा मूल्य भारतीय रुपये में होना चाहिए ।

11.2 निविदाकार सभी कार्य के लिए निविदा देगा अर्थात् स्कोप ऑफ वर्क में उल्लेखित है, जिसमें विफल होना गैर निविदा को उत्तरदायी माना जाएगा।

11.3 निविदाकार को अनुलग्नक–ई में दिए गए प्रारुप के अनुसार निविदा की कीमत का सभी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11.4 सुरक्षा कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक (कुशल/गैर कुशल) निविदा प्रस्तुत करने के समय मध्य प्रदेश राज्य में संबंधित जिला कलेक्ट्रेट द्वारा अधिसूचित दरों से कम नहीं होना चाहिए। उक्त दरों से कम दर उल्लेखित करने वाले निविदाकारों की निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

11.5 अनुबंध में उल्लेखित सुरक्षा कर्मियों का पारिश्रमिक,सुरक्षा कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक वैद्यानिक अधिसूचित श्रम दरों से कम नहीं होगा। यदि जिला कलेक्ट्रेट द्वारा अधिसूचित दरों में संशोधन के कारण ऐसा हो जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा श्रम दरों में वृद्वि की सीमा तक अनुबंध राशि को संशोधित किय जाएगा।

12 निविदा की तैयारी और प्रस्तुत करना :–

12.1 निविदादाताओं को विश्वविद्यालय की भण्डार शाखा में आकर निविदा जमा करना अनिवार्य है ।

12.2 सभी निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने के/प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें,शर्ते एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

एवं विश्वविद्यालय परिसर में सम्पूर्ण कार्यस्थल का भ्रमण कर कार्य के संबंध में समस्त जानकारी स्पष्ट प्राप्त कर लें। निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण एवं शंका समाधान के लिए कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव (प्र.शा.)से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

12.3 निविदादाता को निविदा में दी गई समय सीमा के अनुसार निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

12.4 निविदादाता को निविदा के साथ **पिछले 15 वर्षों के कार्य अनुभव की सूची अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं जानकारी प्रपत्र–3 के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।**

12.5 तकनीकी निविदा प्रस्ताव केवल उन्हीं निविदाताओं का खोला जाएगा जिन्होंने निविदा फार्म का शुल्क तथा सुरक्षा निधि राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा किया है ।

12.6 वित्तीय प्रस्ताव केवल उन निविदादाताओं का खोला जाएगा जिन्होंने तकनीकी निविदा की शर्ते पूर्ण की है।

12.7 निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित कर तकनीकी निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करना अनिवार्य है । सील साईन न होने पर दस्तावेज संलग्न नहीं माना जाएगा।

12.8 निविदा में किये गये संशोधन, कटिंग एवं परिवर्तन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया होना चाहिए लेकिन संख्याओं में की गई कोई भी ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगी।

12.9 निविदा शुल्क एवं सुरक्षा निधि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल के नाम से देय हो, को निविदा लिफाफा (A) में रखा जाए ।

12.10 **तकनीकी निविदा के प्रपत्र लिफाफा (B) में रखी जाए।**

12.11 **वित्तीय निविदा दर लिफाफा (C) में रखी जाए ।**

13. निविदाएं खोलना

13.1 विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित समय,तिथि और स्थान पर खोली जाएंगी । निविदादाताओं का प्रतिनिधि निविदा खोलने में शामिल हो सकते है।

13.2 निविदा खोलते समय यदि निविदादाता का प्रतिनिधि अनुपस्थित है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

13.3 निविदा खोलने के दौरान, तकनीकी निविदा वाले लिफाफे खोले जाएंगे। वित्तीय निविदा वाले लिफाफे सभी समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और बाद की तारीख में खोलने तक बंद रखे जाएंगे।

निविदा फार्म क्रं.........................

14. निविदाओं का मूल्यांकन मापदण्ड

14.1. निविदाएं खोलने के उपरान्त इस बात की जांच की जाएगी कि क्या सुरक्षा निधि राशि निविदा शर्तों के अनुरूप है और निविदादाता न्यूनतम आवश्यक पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है । जैसा की पृष्ठ संख्या 8,9 एवं 10 पर निर्दिष्ट किया गया है ।

14.2 निविदाओं का मूल्यांकन दिए गए योग्यता मानदण्डों और प्रत्येक पैरामीटर की पूर्ति पर प्रदान किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा ।

14.3 वे निविदाकर्ता जिनकी सुरक्षा निधि जमा (EMD) हैं एवं आवश्यक पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करते है। उनकी वित्तीय निविदा (BID) खोलने पर विचार किया जाएगा ।

14.4 **वित्तीय निविदा (BID) की जांच की जाएगी और न्यूनतम निर्धारित सेवा प्रभार मूल मजदूरी का 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से कम सेवा प्रभार का उल्लेख करने पर निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जायेगा।**

14.5 निविदा का मूल्यांकन QCBS (गुणवत्ता सह लागत आधार चयन) प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

14.6 तकनीकी मापदण्ड निविदा पर 50% और वित्तीय निविदा पर 50% का भार होगा ।

14.7 वित्तीय निविदा के महत्व (weightage) की गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

1. सबसे कम राशि का टेण्डर भरने वाले को 50 अंक दिए जाएंगे । अन्य निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
2. वित्तीय निविदा (BID) महत्व (weightage) = (न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर/ विचाराधीन निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर) X 50

उदाहरण स्वरुप यदि न्यूनतम निविदा दाता ने रु.4% का टेण्डर भरा और निविदादाताओं ने 5% का भरा है तो अन्य निविदादाताओं के लिए वित्तीय निविदा महत्व (weightage) इस प्रकार होगा (4/5X50)=40 ।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

पात्रता हेतु मानदण्ड (CRITERIA)

1. निविदाकर्ता के पास भविष्यनिधि, ई.एस. आई.सी. व जी.एस.टी. का पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. **निविदाकर्ता का पिछले 3 वर्षों में से किन्ही दो वर्षो का टर्न ओवर रु.15.00 करोड़/– (रुपये पन्द्रह करोड़) होना चाहिए ।इससे कम होने पर निविदा को अमान्य कर दिय जाएगा।**
3. **न्यूनतम निर्धारित सेवा प्रभार मूल मजदूरी का 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से कम सेवा प्रभार का उल्लेख करने पर निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जायेगा।**

पूर्व–गुणवत्ता मानदण्ड

स. क्रं.	विवरण	अधिकतम नम्बर (Max.Marks)	प्राप्तांक (Marks Obtained)
1.	उन शासकीय/अर्द्धशासकीय / विश्वविद्यालयों /कार्यालयों/संगठनों की संख्या जहां पिछले 03 वर्षों से सुरक्षा की सेवाए दी जा रही है :– (प्रत्येक संस्थान के लिए 0.5 अंक)	5	
2.	पिछले 03 वर्षों में टर्न ओवर 2016–17 2017–18 2018–19 ((1)रु.10.00 करोड़ से कम के लिए 0 अंक (2)रु.10.00करोड़ से रु.15.00 करोड़ के लिए 2 अंक (3)रु.15.00 करोड़ से अधिक एवं अन्य विगत तीन वर्ष के औसत टर्नओवर के आधार पर आनुपातिक अंक दिए जाएंगे)	10	
3.	माह मार्च,2019 में जमा की गई भविष्य निधि राशि पर (अधिकतम 5 अंक रु.25.00 लाख पर और कम राशि के लिए आनुपातिक)	5	
4.	माह मार्च, 2019 में जमा की गई ई.एस.आई.सी. राशि पर (रु.5.00लाख के लिए अधिकतम 5 अंक और कम राशि के लिए आनुपातिक)	5	
5.	माह मार्च,2019 में जमा की गई जी.एस.टी.(15.00 लाख के लिए अधिकतम 5 अंक और कम राशि के लिए आनुपातिक)	5	
6.	विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संगठनों आदि को प्रदान की गई सेवाएं पिछले 2 वर्षों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए (1000सुरक्षा गार्ड पर अधिकतम 5 अंक, 500 सुरक्षा गार्ड के लिए 0 अंक, 500–700 सुरक्षा गार्ड के लिए 1 अंक,	5	

	700–800 सुरक्षा गार्ड के लिए 2 अंक, 800–900 कर्मियों के लिए 2 अंक, 500 से कम कर्मियों के लिए 0 अंक)		
7.	विश्वविद्यालय /विश्वविद्यालय के समकक्ष शैक्षणिक संस्था में विगत पॉच वर्षो के अनुभव पर 5 अंक और कम के लिए आनुपातिक आधार पर	5	
8.	प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,2005 एक्ट मे तहत पंजीयन एवं भोपाल में ट्रेनिंग सेन्टर (अधिकतम 5 अंक)	5	
	कुल	45 अंक	

B. निविदा का अंतिम स्कोर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के अंकों का योग निविदा वेटेज का योग होगा ।

C. सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता को अनुबंध के लिए सफल निविदाकार माना जाएगा ।

D. वित्तीय निविदा में दी गयी दरों पर निविदादाता को कार्य करना होगा ।

15. **सुरक्षा जमा और अनुबंध** सफल निविदाकार को 15 दिनों के भीतर रु.1000/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

16 अनुबंध की प्रभावशीलता और अवधि :–

अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा। अनुबंध सेवाओं के शुरु होने की तारीख से 12 (बारह) महीने की अवधि के लिए वैद्य होगा। अनुबंध को समान नियमों और शर्तों पर अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

17. **सेवाओं की व्यवस्था :–** सफल निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर या किसी अन्य तिथि पर दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सुरक्षा सेवाओं को शुरु करना होगा।

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

18 निविदा की सामान्य अनिवार्य शर्तें :–

18.1 बिना कारण बताए समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

18.2 विश्वविद्यालय के इन भवनों/स्थानों पर सुरक्षा का कार्य करना होगा।

1. बी–38 विकास भवन जोन–1, एम. पी. नगर, भोपाल
2. बिसन खेड़ी परिसर, ग्राम बिसनखेड़ी में स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया के खेल परिसर के पास स्थित है।
3. ई–8 त्रिलोचन नगर शाहपुरा, भोपाल
4. नोएडा परिसर–सी,56/4,सेक्टर–62,नोएडा–201301 (यू.पी.)
5. रीवा परिसर –**TBH-8**,शिल्पीप्लाजा,बी.ब्लाक,तृतीय तल, पीलीकोठी,रीवा (म.प्र.)–486001

6..दतिया परिसर– ग्राम.खैरी,सेरसा, जिला.दतिया,म.प्र.

18.3 कंडिका 18.2 में दर्शाये परिसरों में सुरक्षा कार्य नियमित रूप से हो, इसका दायित्व सफल निविदाकार का होगा।

18.4 विश्वविद्यालय प्रत्येक परिसर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों की संख्या का निर्धारित करेगा।

18.5 उल्लेखित दरों में किसी प्रकार की काट–छांट या अपरलेख होने पर मान्य नहीं किया जायेगा।

18.6 निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक .20.7.2020 अपरान्ह 3:00 बजे तक है। जो उसी दिन सायं 4:00 बजे निविदा की वित्तयी बिड खोली जायेगी।

18.7 आवश्यकता होने पर उभयपक्षीय सहमति से इसे अनुबन्ध की शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा।

18.8 निविदाकार को विश्वविद्यालय द्वारा देय राशि पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

18.9 चयनित संस्था अपने कर्मियों की निष्ठा एवं आचरण का सत्यापन सुनिश्चित करेगी एवं उनका अभिलेख रखेगी। प्रत्येक सुरक्षा गार्ड के पास पहचान–पत्र (I –Card) होना अनिवार्य होगा तथा वे अपनी वर्दी पर नाम पट्टिका भी लगाएंगे।

18.10 चयनित संस्था द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि तत्काल नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर सके।

18.11 चयनित संस्था द्वारा तैनात सुरक्षा गार्डो की समस्त जानकारी जिसमें पुलिस अभिप्रमाणन (Verification) शामिल है, विश्वविद्यालय के पास जमा करायेगी।

18.12 विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सुरक्षा गार्ड की लापरवाही को चयनित संस्था के सामने लाये एवं ऐसे किसी भी सुरक्षा गार्ड को बदलने के लिए चयनित संस्था को निर्देशित करे। ऐसी स्थिति में चयनित संस्था अविलम्ब अन्य सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिए बाध्य होगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगी।

18.13 चयनित संस्था को सुरक्षा गार्डो का ड्यूटी चार्ट हर सप्ताह में अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सफाई ऐजेंसी को सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति संबंधित परिसर के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करानी होगी।

18.14 निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 2,00,000/— (रूपये दो लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो ''कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल'' के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं।

18.15 निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा का कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में वि.वि. द्वारा इस राशि को राजसात कर लिया जायेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में यह राशि सुरक्षानिधि के रूप में वि.वि. में निविदा अवधि तक जमा रहेगी।जिस पर कोई ब्याज राशि देय नहीं होगी।

18.16 निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि रूपये 1000/— (एक हजार रूपये मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

18.17 निविदा स्वीकृत होने पर जिन सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जाएगा उनके के स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा संबंधी प्रमाण—पत्र निविदा फार्म के साथ संलग्न करें।

18.18 दोनों पक्षों के बीच अनुबंध से संबंधित किसी बिंदु पर विवाद की स्थिति में प्रकरण विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कुलपति दोनों पक्षों को सुनकर जो भी निर्णय देंगे वह दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

18.19 दिनांक 31.03.2020 तक का आयकर विभाग का Clearance certificate प्रस्तुत किया करना अनिवार्य है।

18.20 आपात परिस्थितियों में एजेंसी द्वारा प्रदत्त सेवाएं नियमित समय के लिए सीमित नहीं रहेंगी, अपितु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य सम्पादन में पूर्ण सहयोग करना होगा जिसके लिए पृथक से कोई व्यय देय नहीं होगा।

18.21. सुरक्षा गार्ड ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे। उन्हें विश्वविद्यालय की शर्तों का पालन करना होगा। यदि सुरक्षा गार्डों द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उनके विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

18.22 चयनित संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रचलित श्रम कानूनों जैसे फैक्ट्री एक्ट, श्रम, संविदा अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी, अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का पालन करें। यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बावत् विश्वविद्यालय को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी चयनित संस्था की रहेगी

तथा विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह चयनित संस्था को किए जाने वाले भुगतान से इसकी वसूली करे।

18.23 एजेंसी अपने सुरक्षा गार्डों के ई.पी.एफ.,ई.एस.आई.सी, जी.एस.टी.(अन्य कर जो लागू हो) कटौत्रा अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

18.24 यह निविदा अहस्तांतरणीय है।

18.25 सुरक्षा गार्डों की जो संख्या निर्धारित की गई है, उसे समय—समय पर घटाया—बढ़ाया जा सकता है।

18.26 संस्था ऐसे सुरक्षा गार्ड ही तैनात करेगी जिनका पुलिस वेरीफिकेशन कर लिया गया है अन्यथा ऐसे सुरक्षा गार्डों के पारिश्रमिक का भुगतान विश्वद्यािलय द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

18.27 चयनित संस्था माह समाप्त होने पर तैनात सुरक्षा गार्डों की सत्यापित उपस्थिति के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान करेगी एवं भुगतान बाद में पारिश्रमिक भुगतान पत्रक तथा भुगतान प्राप्त होने की पावती प्रत्येक माह के देयक के साथ भुगतान हेतु संलग्न कर प्रस्तुत करेगी। जिसके पश्चात ही अनुबंधित शर्तों के अनुकूल पाए जाने पर देयक भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

18.28 चयनित संस्था द्वारा सुरक्षा गार्डों का भविष्यनिधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम धारा 8 'क' के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित कर्मियों एवं नियोक्ता का ई.पी.एफ. अंशदान की राशि पर देय प्रशासनिक प्रभार एवं ई.डी.एल.आई. की राशि सम्मिलित करते हुए, जमा कर छायाप्रति आगामी माह के देयक के साथ (बैंक चालान ई.सी.आर) प्रस्तुत करने पर ही देयक भुगतान किया जायेगा।

18.29 **वित्तीय प्रस्ताव को पृथक सीलबंद लिफाफा C में प्रस्तुत करें।**

18.30 उक्त तीनों लिफाफे एक पृथक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार वि.वि. भोपाल को संबोधित कर जमा करें।

18.31 टेण्डर डाक्यूमेंट भरते समय किए गए सभी अपरलेख/संशोधन और फेरबदल पर हस्ताक्षर करना होगा ।

18.32. **निविदा दाता को वित्तीय बिड में सर्विस चार्ज अंकित करना अनिवार्य है। उन्हें ई.एस.आई.सी., ई.पी.एफ. एवं साप्ताहित अवकाश आदि को सम्मिलित करते हुए प्रभावशील दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। 4% से कम सेवा प्रभार का उल्लेख करने पर निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जायेगा।**

18.33. सुरक्षा एजेंसी किसी सब एजेंसी से कार्य नहीं कराएगी ।

18.34 **न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी भोपाल न्यायालय होगा ।**

18.35 **निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा संबंधित सुरक्षा गार्डों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा एजेंसी पर निम्नानुसार क्षति पूर्ति की राशि वसूल की जाएगी ।**

स.क्र.	विवरण	क्षति पूर्ति की राशि प्रति दिन प्रति व्यक्ति
1.	सुरक्षा गार्ड यूनिफार्म में न होने पर	रु.200/–
2.	यदि कोई सुरक्षा गार्ड अनुपस्थित है और उसके स्थान पर अन्य सुरक्षा गार्ड तैनात न पाए जाने पर	रु.500/–
3.	सुरक्षा गार्डों के पास आई कार्ड न होने पर	रु.200/–
4.	अभ्रद व्यवहार,सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता	रु.1000/– से 10,000/– तक

	अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर	
5.	विश्वविद्यालय परिसर की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति	रु.1000/– एवं नुकसान हुई सम्पत्ति की वास्तविक राशि तक
6.	सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों को न मानने पर	रु.10,000/– निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि राजसात की जायेगी ।

18.36. सुरक्षा गार्डों के इन्श्योरेन्स की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी । सुरक्षा गार्डो के साथ हुई किसी प्रकार की दुघर्टना के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

18.37. भुगतान हेतु देयक आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सभी आवश्यक पूर्तियों के साथ विश्वविद्यालय में जमा काना होगा। छः माह से अधिक अवधि के देयक भुगतान करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।

18.38 सभी सुरक्षा कर्मचारियों का बायोडेटा, पुलीस सत्यापन, पासपोट साईज का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, ईपी.एफ. नम्बर, यु.एन. नम्बर, ई.एस.आई.सी नम्बर एवं कार्ड की छायाप्रति इत्यादी ड्यूटी लगाने के पूर्व जमा करना आवश्यक होगा।

18.39 यदि न्यूनतम निविदाकर्ता अनुबंध को स्वीकार करने से मना करता है तो उसकी जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात की जा सकेगी तथा द्वितीय चयनित निविदाकर्ता को अनुबंध हेतु अवसर प्रदान किया जा सकेगा।

18.40 निविदाकर्ता पूर्ण रूप से अनुशासन हेतु उतरदायी होगा। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि कार्य के किसी भी स्तर पर सुरक्षा गार्डों एंव उनके कार्य का आकस्मिक निरिक्षण कर सकेगा। कमियां पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निदेशानुसार पूर्ति की जानी होगी।

18.41. सुरक्षा एजेंसी पूर्व सैनिकों की श्रेणी से लगभग 10% ऐसे सुरक्षा गार्ड तैनात करेगी, जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो । संस्था को विश्वविद्यालय में उनकी तैनाती से पहले सुरक्षा गार्डो की पूर्व सैनिकों की स्थिति का संतोषजनक प्रमाण देना होगा।

18.42 यदि निविदादाता एक पंजीकृत कंपनी/दो या अधिक व्यक्तियों की साझेदारी है, तो ऐसे सभी व्यक्ति अनुबंध की शर्तो की पूर्ति के लिए संयुक्त रुप से और गंभीर रुप से विश्वविद्यालय के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसे व्यक्ति हस्ताक्षर करने के लिए विश्वविद्यालय के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के

रुप में कार्य करने के लिए इनमें से एक को नामित करेंगे। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के बिना कंपनी/साझेदारी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

18.43. निविदादाता को हर समय मजदूरी भुगतान 1936 के प्रावधानों के तहत सभी दावों,हर्जाना या मुआवजे के खिलाफ ठेका प्राधिकरण को क्षति देना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, नियोक्ता की देयता अधिनियम 1938 कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, औद्योगिक विवरण अधिनियम 1947, मातृत्व लाभ अधिनियिम 1961 जो किसी भी संशोधन या उसके किसी अन्य कानून से संबंधित है और समय–समय पर यहां बनाए गए नियम विश्वविद्यालय इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हर समय सुनिश्चित किया जाएगा।

18.44 ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारी किसी तीसरे व्यक्ति को कार्यालय,परिचालन प्रक्रिया,तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था,प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों के किसी भी विवरण को विभाजित या सार्वजनिक नहीं करेंगे।

18.45 ठेकेदार पूर्ण रूप से अनुशासन हेतु उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि कार्य के किसी भी स्तर पर सुरक्षा गार्डों एंव उनके कार्य का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा।

18.46 निविदादाता के पास अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के सही और संतोषजनक प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए गार्डों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्वयं का स्थापना /सेट अप/तंत्र होना आवश्यक है।

18.47 विश्वविद्यालय को किसी भी नुकसान की स्थिति में ठेकेदार की ओर से किसी भी चूक के परिणाम स्वरुप जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा की गई जांच के बाद स्थापित किया जा सकता है, इस तरह के नुकसान को देय राशि से अच्छा बनाया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय निर्णय अंतिम और ठेकेदार को बाध्यकारी होगा।

18.48 सफल निविदादार्ता द्वारा तैनात सुरक्षा गार्डो को साथ सुथरी वर्दी पहनाई जाएगी ।

18.49 सफल निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात श्रमिकों को समय पर उनका हकदार पारिश्रमिक प्राप्त हो। इसे देखते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी

प्रपत्र–4 :–

(अ) सफल निविदाकर्ता अगले महीने की 10 तारीख तक अपनी पात्र मजदूरी का भुगतान करेगा।

(ब) ऐसे श्रमिकों को भुगतान सेवा प्रादाताओं द्वारा केवल ई–ट्रांसपर के माध्यम किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार को प्रत्येक संलग्न कार्यकर्ता के लिए एक बैंक खाता खोला जाएगा।

(स) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के श्रमिकों को अगले महीने की 10 तारीख तक उनका हकदार वेतन मिल जाए। निम्नलिखित अनुसूचि का पालन किया जाए :–

(I) मासिक बिल चक्र पिछले महीने के पहले दिन से महीने के आखिरी दिन तक होगा।

(II) उपरोक्त चक्र के अनुसार मासिक बिल सेवा सफल निविदाकर्ता द्वारा अगले महीने के पहले सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

(स) सफल निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले महीने की 10 तारीख को श्रमिकों के हकदार मजदूरी को उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाए। ठेकेदार को इस मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(द) **अगले महीने के लिए बिल जमा करते समय ठेकेदार को निम्नलिखित को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र दर्ज करना होगा:–**

(I) ई.एस.आई.सी .योगदान श्रमिकों से संबंधित रु...........................दिनांक.................... को (संलग्न चालान की प्रति) अनुसार जमा कर दिया गया है।

(II) ई.पी.एफ. योगदान श्रमिकों से संबंधित रु...........................दिनांक.................... को (संलग्न चालान की प्रति) अनुसार जमा कर दिया गया है।

18.50 सफल निविदाकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय में सुरक्षा के सिलसिले में कार्यरत व्यक्ति के मस्टर रोल को ठीक से बनाए रखा जाएगा।

18.51 सफल निविदाकर्ता विश्वविद्यालय को अनुबंध की शुरुआत से 2 से 3 दिन पहले अनुबंध के तहत तैनात किये जाने वाले कर्मियों की सुरक्षा धारण और उसकी संवेदनशीलता के बारे में बताएंगे। अनुबंध के तहत भुगतान के प्रयोजन के लिए ठेकेदार के कर्मियों द्वारा स्थानांतरिकत शिफ्ट के रुप में अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

18.52 सफल निविदाकर्ता द्वारा लगाए गये सुरक्षा कर्मी किसी भी कर्मचारी संघ और संघ की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे ।

18.53 सफल निविदाकर्ता निम्नलिखित मदों पर किए गए सभी खर्चों को वहन करेगा अर्थात सुरक्षा कर्मचारियों के लिए टार्च,बेंटन,वर्दी,जूता,मोजा,टोपी, स्कार्फ,वाकी टाकी एवं अन्य ड्रेस से संबंधित सामग्री, ड्यूटी चार्ट लिखने के लिए और सुरक्षा जांच बिन्दुओं पर रजिस्टर और आवश्यकताओं के अनुसार रिकार्ड रखना।

18.54 **अनुबंध की समाप्ति के बाद सफल निविदाकर्ता के किसी भी श्रमिक को रोजगार प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी। विश्वविद्यालय ठेकेदार के किसी कर्मचारी के साथ किसी भी नियोक्ता संबंध को मान्यता नहीं देता है।**

18.55 यदि पोस्ट पेमेंट ऑडिट के परिणाम स्वरुप एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी ओवरपेमेंट का पता लगाया जाता है या एजेंसी द्वारा निविदा के तहत कथित रुप से किया गया है, तो यह एजेंसी से विश्वविद्यालय द्वारा वसूल किया जाएगा।

18.56 ठेकेदार अनुबंध की अवधि के दौरान या जब भी विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए, प्रासंगिक रिकार्ड की प्रतियां प्रदान करेगा।

18.57 ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ पिछले महीने के लिए वैधानिक देयकों के भुगतान को दर्शाने वाले वालानों के प्रमाण/प्रतियों को संलग्न करना होगा।

18.58 किसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ठेकेदार के पास अपनी पर्यवेक्षी और त्वरित प्रतिक्रिया टीम होनी चाहिए ।

18.59. जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि राशि लौटा दी जावेगी।

18.60 **स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।**

19. कार्य और सेवाओं का दायरा अनुबंध A

19.1 तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्ड,सुपरवाईजर का विवरण, सुरक्षा कार्य में उपयोग किए जाने वाले अनुमानित मैनपावर और गार्डो की संख्या इसप्रकार है :–

सुरक्षा गार्ड	24
सुरक्षा सुपरवाईजर	01

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

20. बदलाव

20.1 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई सुरक्षा गार्ड एव ंसुपरवाईजर की संख्या को कम या अधिक किया जा सकता है।

20.2 सुरक्षा गार्ड,सुरक्षा सुपरवाईजर तथा गनमैन के तौर पर तैनात किये जाने वाले व्यक्तियों की स्वीकृति विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात् ही सुरक्षा एजेन्सी उन्हें तैनात कर सकेगी।

21 सुरक्षा एजेंसी के कार्य

21.1 ठेकेदार को इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विश्वविद्यालयीन भवनों में चौबीसों घंटे सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करनी होगी।

22. सुरक्षा स्टाफ के कर्तव्य और परिणाम

22.1 सुरक्षा एजेंसी अनुबंध में सौंपे गए/कवर किए गए विश्वविद्यालयीन परिसर की समग्र सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी।

22.2 सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी प्रकार की कोई चूक न हो।

22.3 समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित गेट पास के बिना किसी भी वस्तु को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है।

22.4 गार्ड/ सुरक्षा पर्यवेक्षकों की तैनाती समय–समय पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार होगी और सुरक्षा एजेंसी उनके इष्टतम उपयोग के लिए जिम्मेदार होगी।

22.5 गश्तीः ड्यूटी पर तैनात गार्डों को परिसर में खुले में स्थापित सभी पानी के नल, वाल्व पानी के हाइड्रेंट जनरेटर,टू व्हींलर एवं फोर व्हीलर वाहन आदि का ध्यान रखना चाहिए।

22.6 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फूलों के पौधों,पेड़ों और घास के लॉन को कर्मचारियों द्वारा या बाहरी लोगों द्वारा या आवारा मवेशियों द्वारा क्षतिग्रस्त न किया जाए।

22.7 तैनात सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों को मौके पर उपलब्ध अग्निशामक सिलेंडर और अन्य अग्निशामक सामग्री की मदद से आग बुझाने का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

22.8 आपात कालीन परिस्थितियों में, सुरक्षा कर्मचारी/पर्यवेक्षक/वरिष्ठ सुरक्षा पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय की आपदा योजना यदि कोई हो, में परिभाषित उनकी भूमिका के अनुसार भी भाग लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में उनकी भूमिका के लिए सुरक्षा कर्मियों को संवेदनशीन बनाना चाहिए ।

22.9 ड्यूटी पर तैनात सुरक्षागार्ड तब तक परिसर से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि उसका रिलीवर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता ।

22.10 परेड समारोह : सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय उत्सव (26 जनवरी और 15 अगस्त) के अवसर पर और किसी भी कार्यक्रम के दौरान की जा सकेगी। राज्यपाल,मंत्री,रक्षा प्रमुख,प्रख्यात वैज्ञानिक,नोबल पुरस्तकार विजेता ,गणमान्य व्यक्ति आदि को सलामी समारोह (गार्ड ऑफ ऑनर) सुरक्षा एजेंसी (यदि आवश्यक हो) की ओर से आयोजित किए जाएंगे।

22.11 ठेकेदार द्वारा अपने सुरक्षा गार्डों को वाकी टाकी वायरलेस फोन उपलब्ध कराना होागा।

23. जनशक्ति का वर्णन योग्यता और अनुभव

23.1.	सुरक्षा पर्यवेक्षकः–	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।
(क)	सुरक्षा के रुप में अनुभवः	न्यूनतम 10 वर्षो का अनुभव या भूतपूर्व सैनिक हो
(ख)	आयु	18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो
23.2	सुरक्षा कर्मी की योग्यता	न्यूतम 10 वीं पास होना अनिवार्य है।
(क)	सुरक्षा के रुप में अनुभवः	न्यूनतम 05 वर्षो का अनुभव या भूतपूर्व सैनिक
(ख)	आयु	18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

वित्तीय निविदा –E

लिफाफा C

सुरक्षा का कार्य करने वाले व्यक्तियों का विवरण एवं अपेक्षित पारिश्रमिक तालिका

क्र.	विवरण	वेजेस (प्रतिमाह)	ई.पी.एफ.	ई.एस.आई.सी.	जी..एस.टी.	सर्विस चार्ज पैसे / रूपये / . % प्रतिशत में उल्लेख करें।	योग कुल राशि रू. में (प्रतिमाह)
01	सुरक्षा सुपरवाईजर						
02	सुरक्षा गार्ड						
03	गनमैन						

निविदाकर्ता का नाम

:..

पता :..

:..

हस्ताक्षर एवं मुहर

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

प्रपत्र–1

निविदाकर्ता फर्म के पास वर्तमान मे ंकार्यरत सुरक्षाकर्मी,सुरक्षा सुपरवाईजर,भूतपूर्व सैनिक,गनमैन आदि की जानकारी :–

निविदाकर्ता फम का नाम..

पता ....

स.क्रं.	सुरक्षाकर्मी का पदनाम	संख्या	कुल पारिश्रमिक
1.	सुरक्षा कर्मी		
2.	सुरक्षा सुपरवाईजर		
3.	भूतपूर्व सैनिक		
4.	गनमैन		
5.	अन्य		

फर्म की अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं......................... दिनांक.....................

प्रपत्र–2

निविदाकर्ता फर्म की जानकारी तथा घोषणा–पत्र

स.क्रं.	विवरण	
1.	निविदाकर्ता का नाम	
2.	सुरक्षा एजेंसी का नाम	
3.	कार्यालयीन पता	
4.	प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम,2005 एक्ट के तहत पंजीयन	
5.	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
6.	ई मेल आईडी	
7.	संबंधित कार्य के लिए श्रमायुक्त द्वारा जारी लाईसेंस (अद्यतन)	
8.	संबंधित क्षेत्र के लिए नगर निगम द्वारा जारी अद्यतन पंजीयन	
9.	जी.एस.टी. नं.	
10.	पेन कार्ड नं.	
11.	विगत 03 वर्ष का आयकर विवरणी	
12.	संबंधित क्षेत्र के लिए लेबर स्थापना पंजीयन क्र. (अद्यतन)	
13	संस्था का अद्यतन पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र	

घोषणा–पत्र

मेरे/हमारी संस्था द्वारा निविदा में दिए गए सभी नियम/शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की शर्तों के अधीन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्याल,भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म की अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

प्रपत्र –3

सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में विगत पन्द्रह वर्षों के अनुभव की जानकारी

स.क्रं.	वर्ष	संस्था का नाम जहां सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह	सुरक्षा कर्मियों की संख्या	वार्षिक देयक राशि
			दिनांक से	दिनांक तक			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

संस्थान की सील एवं हस्ताक्षर

नोट/– निर्धारित प्रपत्र में अंकित स्थान से यदि अनुभव की जानकारी अधिक है तो, पृथक से सूची बनाकर अंकित कर संलग्न किया जा सकता हैं

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

प्रपत्र.–5

शपथ पत्र का प्रारुप

(रु.1000/– क गैर न्यायित मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं..पुत्र/पुत्री...उम्र......................

पता..

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूॅं कि :–

(1) मै निविदाकर्ता संस्था...(फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूं तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रुप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता... है।

(2) मैने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रुप से पढ़ एवं समझ लिया है। तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है।

(3) निविदा में वर्णित सभी कार्यो को सम्पादित करने के लिए मेरे/मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां,पंजीकरण तथा स्वीकृतियॉ प्राप्त हैं।

(4) मेरे/मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित हैं। किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त किया जाना मान्य होगा तथा हमारे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्याल,भोपाल द्वारा जप्त किया जाना मुझे/हमारी संस्था को मान्य होगा।

(5) मेरे/मेरी संस्था को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैक स्टिेड नहीं किया गया है ।

(6) मेरे/मेरी संस्था का सुरक्षा कार्य से सम्बनधित कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

(7) मेरे/मेरी संस्था पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।

शपथ गृहीता

स्थान...

दिनांक...

1. गवाह का नाम एवं पता...
2. गवाह का नाम एवं पता ....

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2552574

विश्वविद्यालयीन भवनों की सुरक्षा (वर्ष 2020–21) हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रं........................ दिनांक.....................

वित्तीय निविदा भरने के निर्देशः

1. निविदाकर्ता द्वारा इस प्रपत्र में दी जाने वाली वित्तीय दर कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतनभोगी,श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु प्रतिमाह दी जाने वाली मासिक दरों के आधार पर देनी होगी। चूँकि उपरोक्त दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मान्य दरों को ही आधार माना जावेगा।
2. इस वित्तीय प्रपत्र में निविदाकर्ता को सर्विस चार्ज सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) एव सुपरवाईजर (कुशल श्रेणी) को मिलने वाले उस माह के कलेक्टर दर के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि तक वीकली रेस्ट के आधार पर भुगतान की जाने वाली कुल राशि के योग को मिलाकर आने वाली कुल राशि को आधार मानते हुए अंकित की जना है।
3. निविदाकर्ता द्वारा 4% से कम शून्य सेवा शुल्क उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य घोषित कर दिया जाएग । सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर का सर्विस चार्ज की दर एक ही होना चाहिए ।
4. कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) सुरक्षा पर्यवेक्षक (कुशल श्रेणी) की निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
5. निविदाकर्ता को सर्विस चार्ज की राशि सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर को मिलने वाली उस माह के कलेक्टर दर के हिसाब से भुगतान की जाने वाली राशि तथा वीकली रेस्ट के आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि के योग को मिलाकर आने वाली कुल राशि के आधार पर अंकित की जाना है।
6. निविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली वित्तीय दर कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कम्रचारियों हेतु जारी आदेश में उल्लेख दरों से कम नहीं होना चाहिए एवं निविदा जारी होने की तिथि पर लागू दरों से कम नहीं हाना चाहिए। चूँकि उपरोक्त दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है। अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मान्य दरों से कम नहीं होगी। इस हेतु अनुबन्ध द्वारा बढ़ी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय तदानुसार भुगतान करने को बाध्य होगा।

/ /कथन/ /

मैं कथन करता हूं कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं इसकी सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का नाम

:..

पता :..

:..

हस्ताक्षर एवं मुहर